



कोयला खानों में सुरक्षा

कोयला खानों में सुरक्षा

सीआईएल में सुरक्षा एक सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सीआईएल के मिशन में सुरक्षा निहित है एवं समग्र व्यापार कार्यनीति का एक अति महत्वपूर्ण घटक है। सीआईएल ने एक सुस्पष्ट सुरक्षा नीति बनाई है ताकि सभी खानों और प्रतिष्ठानों में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सीआईएल सुरक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए सीआईएल सभी सहायक कंपनियों में बहु-विषयक आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) को पहले ही स्थापित कर चुका है। सीआईएल के सभी प्रचालन, प्रणालियां और प्रक्रियाएं ध्यानपूर्वक नियोजित की जाती हैं और इन्हें सुरक्षा, संरक्षण, सतत विकास और स्वच्छ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। कार्य स्थल पर काम करने में आने वाली बाधाएं और खनन प्रचालानों से जुड़े जोखिमों की पहचान की जाती है और प्रत्येक खान के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजना बनाई जाती है। सीआईएल सुरक्षा प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को हमेशा बढ़ावा देता है ताकि एक सक्रिय सुरक्षा माहौल को प्रोत्साहन मिले और सभी के बीच सुरक्षा जागरूकता में सुधार हो। खानों में "जीरो हार्म पोटेंशियल (जेडएचपी)" हासिल करने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं।

1. सीआईएल की सुरक्षा नीति

सीआईएल के प्रचालनों में सुरक्षा को हमेशा प्रमुखता दी जाती है क्योंकि सीआईएल के मिशन में इसे शामिल किया गया है। सीआईएल ने खानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा नीति तैयार की है और कार्यान्वयन के कई स्तरों पर बारीकी से इसकी मॉनीटरिंग की जाती है। सीआईएल की सुरक्षा नीति का विवरण निम्नानुसार है:

- खनन खतरों को समाप्त करने अथवा कम करने के लिए प्रचालनों और प्रणालियों की योजना बनाई जाएगी और उनका अभिकल्पन किया जाएगा;
- सांविधिक नियमों और विनियमों का कार्यान्वयन करना एवं उच्चतर सुरक्षा मानक प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करना;
- प्रौद्योगिकी में समुचित परिवर्तन करके कार्य स्थितियों को बेहतर बनाना;
- सुरक्षा योजनाओं के सुचारू तथा दक्ष निष्पादन के लिए आवश्यक सामग्री तथा वित्तीय संसाधन प्रदान करना;
- दुर्घटना रोकथाम कार्य के लिए सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती करना;
- सुरक्षा मामलों पर संयुक्त परामर्श हेतु कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ समुचित मंचों का सृजन करना और सुरक्षा प्रबंधन में उनकी सहभागिता तथा वचनबद्धता प्राप्त करना;
- संबंधित भू-खनन आवश्यकताओं के अनुसार वर्षा ऋतु से निपटने के लिए यूनितों को तैयार करने हेतु प्रचालनों में बेहतर सुरक्षा के लिए यूनितवार तथा कंपनी के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के शुरू में वार्षिक सुरक्षा योजना तथा दीर्घावधिक सुरक्षा योजना तैयार करना ताकि खानों में सुरक्षा संबंधी समिति तथा सुरक्षा सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन किया जा सके तथा रूफफाल, हॉलेज, विस्फोटकों, मशीनों आदि संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर दुर्घटना विश्लेषण अध्ययन के माध्यम से भावी दुर्घटना को दर्शाया जा सके।
- क्षेत्र महाप्रबंधकों, एजेंटों, प्रबंधकों तथा खान के अन्य सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से सुरक्षा नीति एवं योजनाओं के निष्पादन हेतु ढांचा तैयार करना।
- कंपनी मुख्यालय पर आंतरिक सुरक्षा संगठन एवं क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन की बहुस्तरीय निगरानी;
- सभी वरिष्ठ कार्यपालक अपनी कार्यप्रणाली में दुर्घटना रोकथाम के लिए सुरक्षा पद्धति में सुरक्षा जागरूकता एवं सहभागिता विकसित करने हेतु सभी स्तरों के प्रबंधन में प्रयास करते रहेंगे;
- सुरक्षा उन्मुख कौशलों के विकास पर सभी कर्मचारियों को सतत शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण प्रदान करना।

- जीवनयापन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास करना तथा खान के अंदर तथा बाहर सभी कर्मचारियों की मदद करना।

2. कोयला खानों की सुरक्षा के लिए सांविधिक संरचना:

कई स्वाभाविक, परिचालन संबंधी और व्यावसायिक खतरों के

क्र.सं.	संविधि
1	पैरागत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति कोड '2020
2	खान नियमावली -1955
3	कोयला खान विनियमन-2017
4	खान बचाव नियमावली-1985
5	विद्युत अधिनियम- 2003
6	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा आपूर्ति से संबद्ध उपाय) विनियम - 2010
7	खान व्यवसायिक प्रशिक्षण नियम-1966
8	खान क्रेच नियम-1966
9	भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
10	विस्फोटक नियमावली - 2008
11	भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923
12	खान मातृत्व लाभ अधिनियम और नियमावली-1963
13	कामगार मुआवजा अधिनियम- 2010
14	फैक्ट्री अधिनियम - 1948 अध्याय -III - IV

3. सीआईएल के सुरक्षा तथा बचाव प्रभाग के प्रमुख कार्यकलाप

- खान की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए खानों का निरीक्षण तथा खान की सुरक्षा स्थिति में सुधार हेतु तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई।
- घाटक दुर्घटनाओं और बड़ी दुर्घटनाओं में तथ्यों का पता लगाना।
- दुर्घटना/बड़ी दुर्घटनाओं के आंकड़ों का डाटाबेस रखना।
- खान दुर्घटना के आंकड़ों का विश्लेषण ताकि कार्य-योजना तैयार की जा सके।
- खान सुरक्षा लेखा-परीक्षा की निगरानी।

कारण विश्वभर में कोयला खनन अत्यधिक विनियमित उद्योग है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) सुनिश्चित करने के लिए भारत में कोयला खान सुरक्षा अत्यंत विस्तृत और व्यापक सांविधिक तंत्रों में से एक है। इन सुरक्षा कानूनों का अनुपालन अनिवार्य है। कोयला खान सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सांविधियां निम्नानुसार हैं:-

- सिमटार्स प्रत्यायित कार्यपालक प्रशिक्षकों द्वारा यूनिट एवं क्षेत्र स्तर के कार्यपालकों, खान अधिकारियों तथा सुरक्षा समिति के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सुरक्षा मुद्दों से संबंधित आंतरिक तकनीकी परिपत्र/प्रबंधन के दिशा-निर्देश/एडवाइजरी तैयार करना एवं तत्संबंधी कार्यान्वयन की निगरानी।
- सीआईएल में सुरक्षा से संबंधित आर एंड डी कार्यकलापों की मॉनीटरिंग।
- सीआईएल सुरक्षा बोर्ड की बैठकें आयोजित करना तथा इन बैठकों के दौरान की गई सिफारिशों/सुझावों की निगरानी करना।
- विभिन्न खान बचाव स्थापनाओं में खान बचाव की

तैयारी की निगरानी करना।

- सुरक्षा संबंधी जागरूकता को बढ़ाने और बेहतर सुरक्षा संबंधी वातावरण तैयार करने के लिए जानकारी के प्रसार और उसे साझा करने के लिए सुरक्षा बुलेटिन का प्रकाशन करना।
- कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठकें आयोजित करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना तथा बैठक के दौरान की गई सिफारिशों/सुझावों की निगरानी।
- खान सुरक्षा और विभिन्न सहायक कंपनियों के आईएसओ के मुद्दे पर विभिन्न एजेंसियों से संपर्क करना।
- सीआईएल सुरक्षा सूचना प्रणाली (सीएसआईएस) डाटाबेस की निगरानी करना और इसके अद्यतन को सुनिश्चित करना।
- इस्पात और कोयला संबंधी स्थायी समिति, श्रम संबंधी स्थायी समिति जैसी अलग-अलग स्थायी समितियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों एवं सीओपीयू, कोयला मंत्रालय, सीएएंडजी तथा वीआईपी द्वारा उठाए गए प्रश्नों तथा सूचना का अधिकार (आरटीआई) – 2005 के तहत मांगी गई सूचना सहित खान सुरक्षा से संबंधित संसदीय प्रश्नों का जवाब देना।

4. वर्ष 2020 में सुरक्षा में सुधार हेतु किए गए उपाय

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों की खानों में सुरक्षा मानक बढ़ाने के लिए सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन और चल रही सुरक्षा संबंधी पहलों के अलावा, वर्ष 2020 में कई उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

1. सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा करना – खानों की सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन करने तथा कमियों की पहचान, यदि कोई हो, के लिए सीआईएल की सभी उत्पादनरत खानों की वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सुरक्षा लेखा परीक्षा प्रगति पर है। बहु-विषयक अंतर-क्षेत्रीय लेखा परीक्षा कार्यदलों के माध्यम से खानों की सुरक्षा लेखा-परीक्षा की जा रही है। खानों की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को दर्शाने के अलावा सुरक्षा

लेखा-परीक्षा सुरक्षा मानदंडों में सुधार हेतु निदानात्मक उपाय का भी सुझाव देता है। सुरक्षा लेखा-परीक्षा के दौरान पायी गयी कमियों को दूर किया जा सकता है। संबंधित सहायक कंपनियों के आईएसओ को पूरी प्रक्रिया की निगरानी का कार्य सौंपा गया है।

2. सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी)– सीआईएल की प्रत्येक खान के लिए स्थल विशिष्ट जोखिम आंकलन आधारित एसएमपी तैयार की गई है जिसमें खान अधिकारी एवं कामगार शामिल हैं। एसएमपी की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। प्रत्येक सहायक कंपनी के आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) के जरिए एसएमपी के क्रियान्वयन पर नजर रखी जा रही है। खानों में सुरक्षा प्रबंधन की प्रक्रिया खानों के सुरक्षा मानकों में सुधार हेतु एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
3. प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजना (पीएचएमपी): सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) के भाग के रूप में प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजना (पीएचएमपी) तैयार की जाती है ताकि किसी भी खान आपदा अथवा बड़ी खान दुर्घटना से बचा जा सके। ट्रिगर एक्शन रिस्पांस प्लान (टीएआरपी) को आपातकालिन स्थिति से निपटने के लिए, यदि कोई हो, तैयार किया जाता है।
4. मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी): सभी खनन तथा संबद्ध प्रचालनों के लिए स्थल विशिष्ट जोखिम आंकलन आधारित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार एवं कार्यान्वित की जाती है। बदलती खान दशाओं के लिए एसओपी को सतत आधार पर अद्यतित किया जा रहा है।
5. विभिन्न सुरक्षा मुद्दों पर विशेष सुरक्षा ड्राइव्स: खान सुरक्षा मानकों में सुधार और कर्मचारियों में सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सुरक्षा मुद्दों पर विशेष सुरक्षा ड्राइव्स आयोजित की गई थी।
6. आईएसओ के साथ नियमित तालमेल: खानों में सुरक्षा की स्थिति तथा सुरक्षा संवर्धन हेतु अन्य स्थापनाओं के आंकलन हेतु निदेशक (तकनीकी), सीआईएल की अध्यक्षता में कई बैठकें हुई थी।

7. राष्ट्रीय धूल रोकथाम समिति की बैठक: सीआईएल और अन्य कोयला उत्पादक कंपनियों की खानों में धूल से जुड़ी समस्याओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए धूल शमन व्यवस्था और किए गए उपायों की स्थिति का आकलन करने हेतु निदेशक (तकनीकी), सीआईएल की अध्यक्षता में 19 सितंबर, 2020 को कोलकाता में वीसी के माध्यम से राष्ट्रीय धूल रोकथाम समिति (एनडीपीसी) की 19वीं बैठक हुई थी।
8. विडियो क्लिप अथवा एनिमेशन फिल्म तैयार एवं शेयर करना: विभिन्न खान सुरक्षा प्रक्रियाओं, प्रचालन

से संबंधित क्या करें अथवा क्या न करें और दुर्घटना विश्लेषण से संबंधित विडियो क्लिप / एनिमेशन फिल्म तैयार की जाती है तथा सभी कर्मचारियों के बीच शेयर किए जाते हैं। इन विडियो क्लिप अथवा एनिमेशन फिल्मों का प्रयोग विभिन्न वीटीसी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में भी किया जाता है। इस प्रयास से सभी कर्मचारियों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ने तथा जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट सुरक्षा संस्कार विकसित होने की आशा है। दिनांक 01.12.2020 की स्थिति के अनुसार विडियो-क्लिप अथवा एनिमेशन फिल्मों की शेयरिंग सहायक कंपनी-वार स्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	सहायक कंपनी	शेयर करना (व्यक्तियों की संख्या)		
		विभागीय	संविदागत	कुल
1	बीसीसीएल	32,187	2,708	34,895
2	ईसीएल	55,512	5,142	60,654
3	सीसीएल	23,786	888	24,674
4	एनसीएल	10,064	7,250	17,314
5	एसईसीएल	25,604	5,160	30,764
6	डब्ल्यूसीएल	16,701	4,245	20,946
7	एमसीएल	12,482	11,163	23,645
कुल	सीआईएल	176,336	36,556	212,892

9. खानों की स्टार रेटिंगरू सुरक्षा पद्धति सहित खानों में उत्कृष्ट पद्धति को बढ़ावा देने के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली अपनाई गई है।

10. डीजीएमएस के आधार पर 'कोविड-19' के लिए विशेष सुरक्षा जागरूकता अभियान:

“सर्कुलर्स”



कोरोना वायरस के बारे में कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के बीच जागरूकता में सुधार करने हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। खानों में डीजीएमएस द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार सभी संभावित सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन किया जा रहा है। इसके अलावा, 08 कोयला उत्पादन वाले राज्यों में फैले सीआईएल के 15 अस्पतालों ने कोरोना संदिग्ध मामलों एवं कोरोना पॉजिटिव मामलों के लिए 1513 बेड एवं 98 आईसीयू बेड तथा क्वारनटाईन सुविधाओं के लिए 549 बेड अलग से रखे हैं।

उपरोक्त विशेष कार्यों के अलावा सुरक्षा मानदंड में सुधार करने हेतु निम्नलिखित उपाय जारी रखे गए हैं:

i. उपयुक्त भू-खनन स्थलों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने पर बल:

- क. कई यूजी खानों में व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी (एमपीटी) अपनाना।
- ख. सुरक्षित एवं पारिस्थितिकी अनुकूल प्रचालन के लिए ओसीपी से विस्फोटन हटाने के लिए कई सतही खनिकों की तैनाती।
- ग. अधिक संख्या में ओसीपी में अपेक्षाकृत उच्च क्षमता के एचईएमएम की तैनाती।
- घ. रूफ बोल्टिंग के लिए यूजी ड्रिलिंग प्रचालन का मशीनीकरण।

ii. स्ट्राटा प्रबंधन हेतु अत्याधुनिक तंत्र अपनाना।

- क. वैज्ञानिक रूप से निर्धारित रॉक मास रेटिंग (आरएमआर) आधारित सहायता प्रणाली।
- ख. रूफ बोल्टिंग के लिए यंत्रिक ड्रिलिंग।
- ग. सीमेंट कैप्सूल के स्थान पर रेसिन कैप्सूल का आवश्यकता आधारित उपयोग।
- घ. आवश्यकता के अनुसार आधुनिक स्ट्राटा मॉनीटरिंग उपकरणों का प्रयोग।
- ङ. स्ट्राटा सहायता प्रणाली की क्षमता की निगरानी हेतु स्ट्राटा नियंत्रण प्रकोष्ठ। एनएबीएल प्रमाण-पत्र सहित प्रत्यायित स्ट्राटा के रॉक मास रेटिंग (आरएमआर) का निर्धारण करने हेतु नागपुर, डब्ल्यूसीएल में इन-हाउस रॉक टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई है।

च. सपोर्ट क्रू एवं फ्रंट-लाइन खान अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, तथा जमीनी स्तर के कामगारों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना।

iii. खान पर्यावरण की मॉनीटरिंग हेतु तंत्र:

- क. मल्टी गैस डिटेक्टर, मिथेनोमीटर, सीओ-डिटेक्टर आदि द्वारा खान में गैसों का पता लगाना।
- ख. पर्यावरणीय टेली मॉनीटरिंग प्रणाली (ईटीएमएस) तथा स्थानीय मिथेन डिटेक्टर (एलएमडी) आदि लगाकर खान पर्यावरण की निरंतर मॉनीटरिंग।
- ग. गैस क्रोमैटोग्राफ के इस्तेमाल द्वारा नियमित रूप से खान वायु की सैम्पलिंग तथा विश्लेषण करना।
- घ. जमी धूल का पता लगाने के लिए पर्सनल डस्ट सैम्पलर (पीडीएस)।
- ङ. परिवेशी धूल सकेंद्रण का आकलन करने के लिए बड़ी ओसीपी में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) का उपयोग करना।

iv. जल जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना:

- क. सीम-वार जल जोखिम योजना तैयार करना और रखना।
- ख. मानसून एक्शन प्लान तैयार करना और कार्यान्वित करना।
- ग. सम्पत्ति की पर्याप्त क्षमता सहित पंपिंग की पर्याप्त सुविधा।
- घ. राज्य मौसम विभाग और बांध प्राधिकरण के साथ संपर्क रखना।
- ङ. जल निकायों के लिए तटबंधों का निर्माण करना।
- च. इंटर माइन बैरिअर्स को प्रमाणित करने के लिए आसपास की खानों में अंतर-खान संयुक्त सर्वेक्षण करना।

छ. खान सर्वेक्षण में त्रुटियों को दूर करने के लिए जांच सर्वेक्षण और संयुक्त सर्वेक्षण करना।

v. खान सुरक्षा से संबद्ध प्रशिक्षण:

क. संविधि के अनुसार प्रारंभिक तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण।

ख. एचईएमएम ऑपरेटरों को सिम्यूलेटर्स पर प्रशिक्षण।

ग. विभिन्न विषयों पर सतत आधार पर फ्रंटलाइन खनन अधिकारियों का कौशल उन्नयन।

घ. नियमित आधार पर सुरक्षा समितियों और संविदागत कामगारों के सदस्यों सहित सभी कर्मचारियों को जागरूक बनाना।

ङ. वीटीसी में इलेक्ट्रिशियनों एवं इलेक्ट्रिकल हेल्परों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्र के अनुभवी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स को नियुक्त किया जा रहा है।

च. सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि करने तथा गंभीरता लाने हेतु प्रशिक्षणों में अनुभवी एजेंटों, खान प्रबंधकों एवं वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों के ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है।

छ. तथापि, इनमें से अधिकांश कार्यक्रम मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण सुरक्षा कारणों से इस वर्ष वीसी के माध्यम से किए जा रहे हैं।

4. खान सुरक्षा संबंधी निरीक्षण:

- पर्याप्त संख्या में सक्षम एवं सांविधिक पर्यवेक्षकों और खान अधिकारियों द्वारा सभी खनन प्रचालनों का हर समय निरीक्षण करना।
- प्रत्येक खान में नियुक्त किए गए कामगार इंस्पेक्टरों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण करना।
- खान तथा क्षेत्र स्तर के अधिकारियों द्वारा औचक बैक शिफ्ट माइन निरीक्षण करना।
- संबंधित सहायक कंपनी और सीआईएल के आंतरिक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से खान का निरीक्षण करना।

- सीआईएल और सहायक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों, कोयला मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण।

5 ओसीपी में दुर्घटना की रोकथाम हेतु उठाए गए कदम:

क. खान-विशिष्ट परिवहन नियमावली तैयार करना तथा लागू करना।

ख. एचईएमएम चालकों, मेनटेनेंस स्टॉफ एवं अन्यो के लिए कार्य संहिता।

ग. संविदागत रोजगार वाले संविदा कामगारों को जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण।

घ. ड्रेगलाइन शॉवल और डोजर ऑपरेटरों को सिम्यूलेशन प्रशिक्षण देने के लिए एनसीएल, सिंगरौली में सेंट्रल एक्सकेवेशन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (सीईटीआई) में 'यूनिवर्सल इक्विपमेंट सिम्यूलेटर' लगाना। सिम्यूलेटर से ऑपरेटर अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं।

ङ. प्रकाश के मानक में वृद्धि करने के लिए हाई मास टावर्स का उपयोग करते हुए प्रकाश की व्यवस्था करना।

च. विस्फोट रहित खनन एवं संबंधित खतरों से बचने के लिए परिस्थितिकी अनुकूल सतही खनिक।

छ. प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, रियर व्यू मिरर एवं कैमरा, आडियो-विजुअल अलार्म (एवीए), ऑटोमेटिक फायर डिक्टेकशन एवं सप्रेसन सिस्टम प्रणाली (एएफडीएसएस) आदि वाले डम्पर।

ज. ऑपरेटरों के आराम हेतु एरगोनोमिकली रूप से डिजाइन की गई सीट एवं एसी केबिन।

झ. ओसी खान में एचईएमएम के आवागमन का पता लगाने के लिए बड़ी ओसीपी में जीपीएस आधारित ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पेच सिस्टम (ओआईटीडीएस)। जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग और जियो-फेंसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए क्रियाकलापों पर रियल टाइम में 24X7 नजर रखने के लिए खानों में ई-सर्विलांस यूनिट लगाई गई हैं।

6. खान आपात अनुक्रिया प्रणाली:

- प्रत्येक खान के लिए संविधि के अनुसार आपात कार्य योजना तैयार की गई है।
- आपात कार्य-योजना की क्षमता की जांच हेतु मोक-रिहर्सल।
- जमीन के नीचे आपात बचाव मार्ग निर्धारित करना।
- खान में आपात स्थिति से निपटने हेतु चौक लिस्ट तैयार की गई है।
- दुर्घटना स्थल से कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली को खानों में संकट/आपादा के संबंध में सूचना भेजने हेतु फ्लो चार्ट तैयार किया गया है।

सीआईएल में आपात अनुक्रिया प्रणाली हेतु बचाव सेवाएं:

- सीआईएल के पास एक सुव्यवस्थित बचाव संगठन है जिसमें छरू खान बचाव स्टेशन (एमआरएस), 13 बचाव कक्ष सहित रिफ्रेशर प्रशिक्षण सुविधा (आरआरआरटी) तथा 17 बचाव कक्ष (आरआर) हैं।

- सभी बचाव स्टेशनध्वचाव कक्ष खान बचाव नियमावली (एमआरआर) –1985 के अनुसार पर्याप्त बचाव उपकरण से सुसज्जित हैं।
- इस बचाव संगठन में एमआरआर- 1985 के अनुसार पर्याप्त संख्या में बचाव प्रशिक्षित कार्मिक (आरटीपी) हैं।
- सभी आरटीपी को समय-समय पर आधुनिक प्रशिक्षण गैलरियों तथा खानों में गर्म, नम एवं सांस लेने में असुविधा वाले वातावरण में बचाव कार्य करने हेतु पुनरु प्रशिक्षित किया जाता है।
- वर्ष 2020 में बीसीसीएल में खान बचाव स्टेशन, धनसर में एक नई बचाव वैन शामिल की गई थी इस वैन का उपयोग आग तथा खानों में दुर्घटनाओं जैसी आपात स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपकरणों एवं कार्मिकों के परिवहन के लिए किया जाएगा।
- बचाव एवं रिकवरी प्रचालनों तथा अन्य चिकित्सीय आपातकालीन परिस्थितियों में स्थल पर तथा ट्रांजिट के दौरान एएलएस अंतरूक्षेपों के लिए वेंटिलेटर, डीफाइब्रिलेटर से सुसज्जित आधुनिक लाईफ सपोर्ट एम्ब्यूलेंस।



सीआईएल 24x7 कॉल के लिए स्थायी ब्रिगेड सदस्यों एवं आरटीपी की नियुक्ति करता है। महत्वपूर्ण स्थानों पर खान बचाव स्टेशन एवं बचाव कक्ष स्थापित किए जाते हैं। ब्योरा निम्नानुसार है:

कंपनी	वर्तमान में प्रचालनरत बचाव प्रतिष्ठान		
	खान बचाव स्टेशन (एमआरएस)	रिफ्रेशर प्रशिक्षण सहित बचाव कक्ष (आरआरआरटी)	बचाव कक्ष (आरआर)
ईसीएल	सीतारामपुर	केंदा	झांजरा, मुगमा
बीसीसीएल	धनसार		मुनीडी, मधुबंद, सुदामडीह
सीसीएल	रामगढ़	कथारा और चुरी	ढोरी, केदला और उरीमारी
एसईसीएल	मनिंद्रगढ़	सोहागपुर, कुसमुंडा, जोहिला, बिसरामपुर, बैकुंठपुर	चीरीमिरी, रायगढ़, भटगांव, जमुना और कोटमा, कोरबा
डब्ल्यूसीएल	नागपुर	पारसिया, पाथाखेड़ा, टडाली	मथानी, माजरी, सास्ती एवं मुरपर
एमसीएल	बरजराज नगर	तलचर,	—
एनईसी	—	टीपोंग	—
कुल	6	13	17

8. सीआईएल की सुरक्षा निगरानी

खानों में विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा की निगरानी निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा की जाती है:



9. कोल इंडिया लिमिटेड

सीआईएल में दुर्घटना संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण

दुर्घटना से संबंधित आंकड़े खानों में सुरक्षा स्थिति से संबंधित संकेतक हैं। विगत वर्षों में दुर्घटना के मामले में सीआईएल के सुरक्षा निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसे सीआईएल की दुर्घटना संबंधी आंकड़ों में दर्शाया गया है:

सुरक्षा में यह सुधार निम्नलिखित कारकों के कारण है:

- सामूहिक प्रतिबद्धता एवं प्रबंधन तथा कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग।
- खनन पद्धति, मशीनरीज एवं सुरक्षा निगरानी तंत्र के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग।
- निरंतर सतर्कता, हर समय पर्यवेक्षण एवं विभिन्न भागों से सहायता।
- गुणवत्ता प्रशिक्षण एवं सतत सुरक्षा जागरूकता अभियानों के माध्यम से कार्यबल के ज्ञान, कौशल एवं जागरूकता में निरंतर सुधार।


सीआईएल के सुरक्षा निष्पादन में सतत एवं निरंतर सुधार की मुख्य विशेषताएं:

वर्ष 1975 से सीआईएल में दुर्घटनाओं के संबंध में पांच वर्षीय औसत आधार पर तुलनात्मक आंकड़े


समय अवधि	औसत घातक दुर्घटनाएं		औसत गंभीर दुर्घटनाएं		औसत मृत्यु दर		गंभीर चोटों की औसत दर	
	दुर्घटना	मृतक	दुर्घटना	घायल	प्रति मि.टन	प्रति 3 लाख मेनशिफ्ट	प्रति मि.टन	प्रति 3 लाख मेनशिफ्ट
1975-79	157	196	1224	1278	2.18	0.44	14.24	2.89
1980-84	122	143	1018	1065	1.29	0.30	9.75	2.26
1985-89	133	150	550	571	0.98	0.30	3.70	1.15
1990-94	120	145	525	558	0.694	0.30	2.70	1.19
1995-99	98	124	481	513	0.50	0.29	2.06	1.14
2000-04	68	82	499	526	0.28	0.22	1.80	1.47
2005-09	60	80	328	339	0.22	0.25	0.92	1.04
2010-14	56	62	219	228	0.138	0.23	0.49	0.80
2015-19	33	43	107	112	0.08	0.18	0.19	0.47
2020	29	30	73	80	0.05	0.14	0.13	0.37

नोट: डीजीएमएस से मिलान की शर्त पर डीजीएमएस पद्धति के अनुरूप दुर्घटनाओं के आंकड़े कैलेण्डर वर्ष-वार रखे जाते हैं।


ग्राफ: 1 – 1975 से सीआईएल में घातक दुर्घटनाओं की 5 वर्षीय औसत प्रवृत्ति



ग्राफ: 2 – वर्ष 1975 से गंभीर चोटों की 5 व्षीय औसत प्रवृत्ति



ग्राफ-3: पिछले पांच वर्षों के लिए सीआईएल में घातक एवं गंभीर दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति



तालिका-2: सीआईएल में 2019 की तुलना में 2020 में दुर्घटना संबंधी समग्र आंकड़े

क्र सं	मानदंड	2019	2020	संख्या में पूर्ण परिवर्तन	कमी का %
1	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	30	29	1	3%
2	मृतकों की संख्या	34	30	4	12%
3	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	86	73	13	15%
4	गंभीर रूप से घायलों की संख्या	90	80	10	11%
5	प्रति मि.ट. कोयला उत्पादन पर मृत्युदर	0.06	0.05	0.01	16%
6	प्रति 3 लाख नियोजित मेनशिफ्ट पर मृत्युदर	0.15	0.14	0.01	7%
7	प्रति मि.ट. कोयला उत्पादन पर गंभीर रूप से घायलों की दर	0.15	0.13	0.02	13%
8	प्रति 3 लाख नियोजित मेन शिफ्ट पर - गंभीर रूप से घायलों की दर	0.40	0.37	0.03	7%

टिप्पणी: डीजीएमएस पद्धति के अनुरूप दुर्घटनाओं के आंकड़े कैलेंडर वर्ष-वार रखे जाते हैं तथा आंकड़े डीजीएमएस से मिलान की शर्तों पर हैं।

तालिका-3: वर्ष 2020 के लिए सीआईएल के कंपनी-वार दुर्घटना आंकड़े

कंपनी	घातक दुर्घटना	मौतें	गंभीर दुर्घटनाएं	गंभीर चोटें	मृत्यु दर		गंभीर घायलों की दर	
					प्रति मि.टन	प्रति 3 लाख मेनशिफ्ट	प्रति मि. टन	प्रति 3 लाख मेनशिफ्ट
ईसीएल	6	7	18	22	0.15	0.16	0.47	0.50
बीसीसीएल	2	2	9	9	0.08	0.07	0.34	0.32
सीसीएल	1	1	7	7	0.02	0.04	0.11	0.28
एनसीएल	2	2	14	15	0.02	0.18	0.13	1.36
डब्ल्यूसीएल	4	4	6	7	0.08	0.07	0.14	0.13
एसईसीएल	10	10	15	16	0.07	0.26	0.11	0.41
एमसीएल	4	4	4	4	0.03	0.26	0.03	0.26
एनईसी	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
सीआईएल	29	30	73	80	0.05	0.14	0.13	0.37

टिप्पणी: डीजीएमएस पद्धति के अनुरूप दुर्घटनाओं के आंकड़े कैलेंडर वर्ष-वार रखे जाते हैं तथा आंकड़े डीजीएमएस से मिलान की शर्तों पर हैं।

तालिका-4: वर्ष 2018 से 2020 तक की अवधि के दौरान कंपनी-वार दुर्घटना के आंकड़े

कंपनी	घातक दुर्घटनाएं			मौतें			गंभीर दुर्घटनाएं			गंभीर रूप से घायल		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
ईसीएल	1	7	6	2	7	7	24	18	18	25	18	22
बीसीसीएल	2	6	2	2	6	2	7	10	9	7	12	9
सीसीएल	5	2	1	8	2	1	9	4	7	16	4	7
एनसीएल	3	2	2	3	2	2	8	12	14	8	12	15
डब्ल्यूसीएल	2	2	4	5	2	4	17	16	6	17	17	7
एसईसीएल	12	6	0	15	7	10	20	22	15	21	23	16
एमसीएल	8	5	4	8	8	4	4	4	4	4	4	4
एनईसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सीआईएल	33	30	29	43	34	30	89	86	73	98	90	80

तालिका-5: 2018 से 2020 के दौरान कंपनी-वार मौत और गंभीर रूप से घायल

कंपनी	प्रति मि. ट. कोयला उत्पादन पर मौत की संख्या			प्रति 3 लाख मेनशिफ्ट पर मृत्यु दर			प्रति मि. ट. कोयला उत्पादन पर गंभीर रूप से घायलों की दर			प्रति 3 लाख मेनशिफ्ट पर गंभीर रूप से घायलों की दर		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
ईसीएल	0.04	0.14	0.15	0.04	0.16	0.16	0.52	0.35	0.47	0.53	0.40	0.50
बीसीसीएल	0.06	0.21	0.08	0.06	0.20	0.07	0.22	0.43	0.34	0.22	0.41	0.32
सीसीएल	0.12	0.03	0.02	0.29	0.08	0.04	0.24	0.06	0.11	0.58	0.15	0.28
एनसीएल	0.03	0.02	0.02	0.26	0.18	0.18	0.08	0.11	0.13	0.69	1.09	1.36
डब्ल्यूसीएल	0.10	0.04	0.08	0.09	0.04	0.07	0.34	0.31	0.14	0.30	0.31	0.13
एसईसीएल	0.10	0.05	0.07	0.34	0.17	0.26	0.12	0.16	0.11	0.43	0.56	0.41
एमसीएल	0.06	0.06	0.03	0.50	0.49	0.26	0.03	0.03	0.03	0.25	0.25	0.26
एनईसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सीआईएल	0.07	0.06	0.05	0.18	0.15	0.14	0.16	0.15	0.13	0.41	0.40	0.37

वर्ष	मृतक	गंभीर रूप से घायल
2015-16	1	3
2016-17	2	1
2017-18	1	0
2018-19	1	0
2019-20	2	0
2020-21 (दिसम्बर, 2020 तक)	0	0



11. एनएलसीआईएल में सुरक्षा उपाय

- एनएलसीआईएल लि. में शून्य दुर्घटना संभाव्यता हासिल करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:
 - एनएलसीआईएल की खानों (खान-1, खान-1क तथा खान-2) में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अर्थात् बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स, स्प्रेडर्स, स्टेर्क्स तथा इनबिल्ट सुरक्षा विशेषताओं सहित कन्वेयरों की श्रृंखलाएं खानों में प्रचालित की जा रही है।
 - खानों के सभी कार्यकलापों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (लगभग 300) स्थापित की गई है तथा दृढ़ता से कार्यान्वित की जाती है।
 - जोखिम आकलन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं तथा बेंच ऑपरेशन, बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स, बेल्ट कन्वेयर, लिग्नाइट उत्पादन, स्टोरेज और प्रेषण, हाऊल रोड, ओबी डम्प, खान जल प्रबंधन सहित खानों के सभी कार्यकलापों को कवर किया गया है एवं कार्यान्वयनाधीन है।
 - विशेष बैठकों के अलावा मासिक आधार पर पिट सुरक्षा समिति की बैठकें की जाती हैं।
 - प्रत्येक खान में दो फायर टेंडर हैं जिसकी देखरेख सीआईएसएफ कार्मिकों द्वारा चौबीसों घंटे किया जाता है।
 - भू-जल नियंत्रण प्रभाग नामक एक अलग विभाग द्वारा जल खतरे की संभावनों का अध्ययन एवं प्रबंधन किया जाता है।
 - धूल दबाव के लिए प्रत्येक बीडब्ल्यूई बकेट में वाटर स्प्रेइंग व्यवस्था की गई है तथा ड्रिल मशीनों में डस्ट एक्सट्रेक्टर लगाए गए हैं तथा वेट ड्रिलिंग व्यवस्था की गई है। हाऊल सड़कों पर धूल दबाने के लिए पर्याप्त संख्या में वाटर टेंकर (28 केएल) दि गए हैं।
 - सिम्यूलेटर जैसी नई प्रौद्योगिकी का विश्वव्यापी उपयोग प्रशिक्षण के दौरान बिना किसी दुर्घटना के जोखिम के स्वाभाविक पर्यावरण में कामगारों को उपकरण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके लिए एनएलसीआईएल में साउथ अफ्रीका के 5डीटी प्रौद्योगिकी से सिम्यूलेटर हासिल किए गए हैं तथा गुप वेस्टिबूल प्रशिक्षण केंद्र, नेयवेली में स्थापित किए गए हैं।

12. सुरक्षा एवं आर एंड डी पहलें

सुरक्षा प्रशिक्षण

अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक जीवीटीसी, नेयवेली में दिया गया प्रशिक्षण।

प्रशिक्षण का प्रकार/प्रशिक्षित व्यक्ति		Persons trained
कर्मचारियों को दिया गया बेसिक/प्रारंभिक प्रशिक्षण		2
संविदा कर्मचारियों को दिया गया बेसिक/प्रारंभिक प्रशिक्षण		530
प्रशिक्षुओं को दिया गया बेसिक/प्रारंभिक प्रशिक्षण		47
रिफ्रेशर प्रशिक्षण	संविदा कामगार	1639
	नियमित कर्मचारी	612
विशेष प्रशिक्षण	संविदा कामगार	257
	नियमित कर्मचारी	181
अन्य प्रशिक्षण (कार्यपालक पर्यवेक्षक, प्रशिक्षु एवं सीआईएसएफ आदि)		27
कुल प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या		3295

13. आपात क्रिया प्रणाली

एनएलसीआईएल की सभी खानों में सुरक्षा प्रबंधन योजना के रूप में प्रमुख जोखिमों की पहचान की गई है तथा आपात कार्य योजना बनाई गई है। एक विस्तृत मानसून कार्य योजना भी है जो मौसम विभाग से हवा की तेज गति एवं भारी वर्षा के संबंध में चेतावनी खान अधिकारियों को प्राप्त होते ही कार्यान्वित की जाती है।

14. व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं

1. एनएलसी इंडिया लिमिटेड की खानों में ओएच सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

- (i) संविदा कामगारों सहित सभी खान कामगारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। नेयवेली में एक 355 बेड वाला बहु-कार्य जनरल हास्पिटल कार्य कर रहा है तथा बरसिंगसर खान, राजस्थान में एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रचालन में है।
- संविदा कामगारों सहित एनएलसीआईएल की खानों में सभी कामगारों के लिए एनएलसी जनरल हास्पिटल के औद्योगिक मेडिकल सेंटर, में 3 वर्ष में एक बार चिकित्सा जांच कराई जाती है। पीएमई परिणाम के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

15. प्रारंभिक चिकित्सा जांच:

चिकित्सा जांच का प्रकार

चिकित्सा जांच का प्रकार	व्यक्तियों की संख्या 2019-20	व्यक्तियों की संख्या 2020-21 (दिसम्बर, 2020 तक)
		वास्तविक
प्रारंभिक चिकित्सा जांच (आईएमई)	618	944
आवधिक चिकित्सा जांच (पीएमई)	4086	1335

16. एससीसीएल के दुर्घटना संबंधी आंकड़े:

i. 2015-16 से 2019-20 (31दिसंबर, 2020 तक) के दौरान घातक तथा गंभीर दुर्घटनाओं तथा मृत्यु दर और गंभीर चोट का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	घातक दुर्घटनाएं	मृतक	गंभीर दुर्घटनाएं	गंभीर चोटें	मृत्यु दर		गंभीर चोट दर	
					प्रति मि. ट.	प्रति 3 लाख मेन शिफ्ट	प्रति मि. ट.	प्रति 3 लाख मेन शिफ्ट
2015-16	7	7	225	225	0.12	0.14	3.73	4.51
2016-17	10	12	220	224	0.20	0.25	3.65	4.66
2017-18	11	12	210	215	0.19	0.24	3.47	4.32
2018-19	7	7	187	187	0.11	0.16	2.90	4.17
2019-20	7	7	122	123	0.11	0.17	1.92	2.90
2020-21*	8	11	71	74	0.34	0.44	2.27	2.98

*31दिसंबर, 2020 तक

ii. 2015 से 2020 के दौरान घातक तथा गंभीर दुर्घटनाओं तथा मृत्यु दर और गंभीर चोट का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है

वर्ष	घातक दुर्घटनाएं	मृतक	गंभीर दुर्घटनाएं	गंभीर चोटें	मृत्यु दर		गंभीर चोट दर	
					प्रति मि. ट.	प्रति 3 लाख मेन शिफ्ट	प्रति मि. ट.	प्रति 3 लाख मेन शिफ्ट
2015	7	7	245	245	0.12	0.14	4.05	4.98
2016	10	12	216	218	0.20	0.25	3.66	4.54
2017	11	12	213	219	0.20	0.24	3.60	4.39
2018	7	7	190	191	0.11	0.15	2.91	4.09
2019	8	8	138	138	0.12	0.19	2.10	3.28
2020*	9	12	97	101	0.24	0.34	2.02	2.84

*31दिसंबर, 2020 तक

17. एससीसीएल में सुरक्षा उपाय:

1. एलएचडी, एसडीएल तथा मशीनीकृत प्रौद्योगिकी जैसे कि ह्यूमन इजरी कम करने हेतु लांगवाल, सतही खनिक तथा दुर्घटनाओं एवं आपदाओं को रोकने हेतु सक्रिय कार्य स्थलों पर व्यक्तियों को कम करने हेतु सेमी मशीनीकरण के द्वारा मैनुअल लोडिंग को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
2. रूफ फॉल जोखिमों से कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उच्च प्राथमिकता दी गई है। मशीनीकृत रूफ बोल्टिंग प्रणाली लागू की गई है तथा सभी यूजी खानों में 253 रूफ बोल्टर प्रदान किए गए हैं।
3. सभी खानों एवं विभागों में प्रकाश में सुधार करने हेतु इल्यूमिनेशन पखवाड़ा मनाया जाता है।

4. सभी यूजी खानों में मेन राइडिंग & वाइडिंग प्रणाली लगाई गई है ताकि खड़ी उचाईयों पर चलने के जोखिम से बचा जा सके।
5. 10 यूजी खानों में वाई-फाई सहित भूमिगत संचार एवं ट्रेकिंग प्रणाली प्रस्तावित है।
6. ओसी खानों के प्रचालकों को एचईएमएम पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र (टीटीसी, आरजी-1) के लिए 4 करोड़ रु. की लागत से 6 प्रकार के एचईएमएम की खरीद हेतु 2 प्रशिक्षण सिम्यूलेटर हासिल किए गए हैं।
7. उच्च तापमान में तथा आर्द्र परिस्थितियों में भूमिगत खानों में काम करने वाले कामगारों को, एयर चिलिंग संयंत्र प्रदान किए गए हैं ताकि आरामदेह परिस्थितियां बनी रहे एवं कामगारों के जोखिम को कम किया जा सके।
8. दुष्प्रभावी गैसों की निगरानी के लिए ट्यूब बंडल प्रणाली (एएलपी खान) तथा टेली मॉनीटरिंग (वीके-7 एवं जीडीके 11) प्रदान की गई है।
9. सभी यूजी खानों के लिए हल्के कैप लैम्प प्राप्त किए गए हैं।
10. कामगारों के प्रतिनिधियों को द्विपक्षीय एवं त्रि-पक्षीय बैठकों, क्षेत्रीय सुरक्षा समितियों की बैठकों, पिट सुरक्षा समिति की बैठकों में शामिल करना तथा सुरक्षा से संबंधित कार्यकलापों के संबंध में उनके सुझाव प्राप्त करना एवं उनके सुझावों को कार्यान्वित करना।
11. समुचित निदानात्मक कार्रवाई करने हेतु ओबी डम्पों की गतिविधियों एवं रियल टाईम आधार पर बैंचों का आकलन करने हेतु जीके ओसी, केजीएम क्षेत्र में एलआईडीएआर स्थापित किया गया है।
12. धूल दबाव हेतु सीएचपी में धूल दबाव मशीनों के लिए 9 नेविस सीडी-60 मॉडल, टाईप माउंटेड (डीएफडीएस) ड्राई फॉग डस्ट सप्रेसन प्रदान किया गया है।
13. एससीसीएल में एक मुख्य अस्पताल, 06 क्षेत्रीय अस्पताल तथा 12 व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनका प्रबंधन ओएचएस प्रशिक्षित 27 डॉक्टरों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा संगोष्ठी की सिफारिशों एवं सांविधियों के अनुसार अपेक्षित सभी प्रकार के परीक्षण एवं चिकित्सा जांच की जाती है। अस्पताल सीटी स्कैन, 2डी ईको एवं डॉयलिसिस केंद्रों जैसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं।

सिमटार्स

- एससीसीएल द्वारा जोखिम प्रबंधन में 10 अधिकारियों को सेपटी इन मान्स टेस्टिंग एंड रिसर्च स्टेशन (सिमटार्स), ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षित किया गया है।
- एससीसीएल द्वारा सिमटार्स, ऑस्ट्रेलिया के मानक के अनुरूप रामागुंडम और मण्डामारी में दो अत्याधुनिक "सुरक्षा प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र" स्थापित किया है।
- "ट्रेन ऑफ द ट्रेनर्स" कार्यक्रम के अंतर्गत सिमटार्स प्रत्यायित प्रशिक्षकों द्वारा संबंधित खानों के सुरक्षा प्रबंधन टीमों को "सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) के विकास एवं कार्यान्वयन" संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान 27 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिससे लगभग 196 कार्यपालकों एवं 462 कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया। कोविड महामारी के कारण, निर्धारित प्रशिक्षण में विलंब हुआ तथा वर्ष 2020-21 के दौरान 7 प्रशिक्षण पूरे किए गए और लगभग 46 कार्यपालकों एवं 118 कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया।
- सभी प्रचालनरत खानों की सुरक्षा प्रबंधन योजनाएं सिमटार्स प्रत्यायित प्रशिक्षकों के दिशा-निर्देश में तैयार की गई तथा डीजीएमएस को प्रस्तुत की गई।

एससीसीएल में बचाव सेवाएं:

- रामागुंडम में बचाव विभाग के साथ केंद्रीय निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है जिसके अध्यक्ष महाप्रबंधक हैं। इसके अलावा, कोटागुदेम, मंदामारी तथा भूपालापल्ली क्षेत्रों में तीन रेस्क्यू रूम फॉर रिक्रेशर ट्रेनिंग (आरआरआरटी) स्थापित किए गए थे।
- भारत में बचाव सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एससीसीएल में इनका वर्ष 2002 में आधुनिकीकरण किया गया था तथा ये अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करते हुए विकसित देशों की बचाव सेवाओं के समान थी।
- बेसिक बचाव उपकरण जिनकी संविधि के अनुसार आवश्यकता होती है, के अलावा, एससीसीएल ने

अत्याधुनिक हाइड्रोलिक कटर्स वाले हाइड्रोलिक रेस्क्यू टूल्स, स्प्रेडर्स, कॉम्बी-टूल्स, रेस्क्यू रैम्स और लिफ्टिंग जैक्स खरीदे हैं। विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए नुमैटिक हाई प्रेशर लिफ्टिंग बैग्स, कांक्रिट कटर्स और वुड कटर्स भी मौजूद हैं।

- निदेशकों और महाप्रबंधकों के नेतृत्व वाले एससीसीएल बचाव दल ने तीन बार इंटरनेशनल माईस रेस्क्यू कांफ्रेंस में हिस्सा लिया और दो वर्षों में एक बार आयोजित होने वाले इंटरनेशनल माईस रेस्क्यू कंपीटिशन में पांच बार हिस्सा लिया।
- सिविल आपदाओं के साथ-साथ सड़कध्वंसे दुर्घटना, वाहन की टक्कर, डूबना, गांवों में आग की दुर्घटनाएं और थर्मल पावर प्लांट्स में आग की दुर्घटनाओं के लिए भी एससीसीएल की बचाव सेवाएं दी जाती हैं।
